

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/313

दिनांक : 11/06/2024

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/सीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें:-

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	कॉलेज का नाम
1.	डॉ अदिबा खान पुत्री श्री इरफान खान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।	राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जयपुर

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/313

दिनांक : 11/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।